न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 107 / 2010

सरकार जरिये तहसीलदार, (भूमिधारी) दौसा ..प्रार्थी

बनाम

ज्ञान सिंह पुत्र बोदन सिंह जाति बंजारा निवासी बापी तहसील व जिला दौसा ..अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4)
भू–आवण्टन नियम–1970

उपस्थिति–1. श्री चंद्र शेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार
2. श्री द्वारका प्रसाद शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 3010.2017

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.06.1989 को **ग्राम बापी** तहसील दौसा के आ0ख0नं0 1196 / 3 रकबा 0.35 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी को किया गया। अप्रार्थी द्वारा आवण्टन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार, दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि अप्रार्थी को दिनांक 21.06.1989 को **ग्राम बापी** तहसील दौसा के 1196 / 3 रकबा 0.35 है0 भूमि आवण्टित की गई थी। किंतु अप्रार्थी द्वारा आवण्टित भूमि का आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि खाली (पड़त) पडी हुई हैं । भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। अतः आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटन निरस्त किया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस में दलील है कि अप्रार्थी को भूमिहीन होने के कारण आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत आवंटन किया गया है। अप्रार्थी सदैव से काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थी द्वारा भूमि को पैसे लगाकर उपजाउ बनाकर दोनों फसलें रवि व खरीफ की करता आ रहा है। कभी कभार बारिश नहीं होने पर फसल नहीं बोई जाती है। इस वर्ष भी बारिश नहीं हुई किंतु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि को जोत लगाकर छोड रखा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आवंटन बहाल रखा जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी जॉच पटवारी हल्का से करवाई गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.06.1989 को **ग्राम बापी** तहसील दौसा के आ0ख0नं0 1196/3 रकबा 0.35 है0 भूमि का आवंटन किया गया। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि की शर्तो की पालना नहीं की गई। क्योंकि मौके पर आज भी भूमि खाली (पडत) पडी हुई है तथा अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। जबकि आवंटन हुए लगभग 28 वर्ष बाद भी गैरखातेदारी दर्ज है। इससे स्पष्ट होता कि आवण्टित भूमि का अप्रार्थीगण द्वारा कोई उपयोग नहीं किया जा रहा और आवण्टित भूमि की काश्त में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। जिससे आवण्टित भूमि के प्रयोजन ही समाप्त हो जाते है। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र को दोहराते हुए बहस में आवंटित भूमि पर काश्त करना बताया गया है किंतु उन्होनें ऐसे कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं करना चाहते है। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में आवण्टन खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 21.06.1989 खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 अक्टूबर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा